अत्यावश्यक
पंचायत उप निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–पं0नि0–30–06 / 2023......2898

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।

पटना, दिनांक– 10/8/2023

विषय :– पंचायत उप निर्वाचन, 2023: फोटोयुक्त मतदाता सूची के तैयारी के संबंध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–2882 दिनांक–08.08.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सभी जिलों को रिक्त पदो की विवरणी के साथ पंचायत उप निर्वाचन, 2023 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची के तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

विदित हो कि वाद संख्या–86 / 2022 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गोपालगंज बनाम सोनी कुमारी के वाद में माननीय आयुक्त के न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत–बसडीला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0–02 के ग्राम पंचायत सदस्य को पद मुक्त किये जाने के कारण उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02 का पद रिक्त हो गया है।

अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के साथ प्रेषित कार्यक्रम के अनुसार रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु मतदाता सूची की तैयारी करने की कृपा की जाए। कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसाधारण हेतु प्रकाशित करा दी जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
10/8/23
सचिव।

ज्ञापांक– पं0नि0–30–06 / 2023 2898 पटना, दिनांक–......10/8/2023

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/8/23
सचिव।

ज्ञापांक– पं0नि0–30–06 / 2023 2898 पटना, दिनांक–10/8/2023

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/23

सचिव।

ज्ञापांक– पं0नि0–30–06 / 2023 2898 पटना, दिनांक–10/8/2023

प्रतिलिपिः– सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

10/8/23

सचिव।

ज्ञापांक– पं0नि0–30–06 / 2023 2898 पटना, दिनांक–10/8/2023

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8/23

सचिव।

208

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–86/2022
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत), गोपालगंज बनाम् सोनी कुमारी

यह वाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गोपालगंज के प्रतिवेदन पत्रांक–1904/पं0, दिनांक–09.09.2022 के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वतः संज्ञान के आधार पर प्रारंभ किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत), गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि प्रतिवादी श्रीमती सोनी कुमारी, पति–श्री अजय शर्मा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, प्रखण्ड+जिला–गोपालगंज में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के रूप में सेवारत थी। उनकी सेवा अवधि 2021–22 एवं 2022–23 के लिए रु 5,000/–(पाँच हजार रूपये) प्रति माह मानदेय का भुगतान किया गया है। सेवा से विधिवत् त्याग–पत्र दिए बिना ही इनका निर्वाचन ग्राम पंचायत राज बसडिला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02 के ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर हुआ है, जो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(घ) का उल्लंघन है, जिसके कारण उक्त अधिनियम की धारा–136(2) के तहत कार्रवाई का अनुरोध जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचातय)–सह–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा किया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में प्रतिवादी श्रीमती सोनी कुमारी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार द्विवेदी, श्री एबादुर रहमान शकील एवं श्री बबन कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री अनन्त कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज को प्राधिकृत किया गया।
3. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी ने त्याग–पत्र के बाद चुनाव में भाग लिया और विजय प्राप्त की हैं, परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य यथा–त्याग–पत्र या स्वीकृत्यादेश आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गोपालगंज के पत्रांक–310/पं0, दिनांक–16.01.2023, पत्रांक–971/पं0, दिनांक–03.05.2023, पत्रांक–1036/पं0, दिनांक–10.05.2023, पत्रांक–1447/पं0, दिनांक–21.06.2023 एवं पत्रांक–1600/पं0, दिनांक–12.07.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए। जाँच प्रतिवेदन का प्रभावकारी अंश निम्नरूपेण हैः–

"इस कार्यालय के पत्रांक–368/पं0, दिनांक–24.02.2023 द्वारा जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गोपालगंज से श्रीमती सोनी कुमारी के त्याग–पत्र, उनके सेवा अवधि, सेवा शर्त्त, मासिक वेतन से संबंधित प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ माँग की गई (पत्र की प्रति संलग्न)।

जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गोपालगंज के पत्रांक–4311/22–23/179, दिनांक–01.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है (पत्र की प्रति संलग्न)। जिसमें उल्लेखित है कि "श्रीमती सोनी कुमारी, पति–श्री अजय कुमार शर्मा ने 06 अगस्त, 2021

को राष्ट्रीय स्वयं सेवक के पद पर ज्वाईन किया जिसकी शर्त्त/नियमों की प्रति उसके द्वारा दिए गए शपथ–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा 01 मार्च, 2022 को दिए गए त्याग–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। इस कार्यकाल के दौरान उन्हें रु 5,000/–(पाँच हजार रूपये) प्रति माह की दर से मानदेय दिया गया।

जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन में मानदेय का साक्ष्य न होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक–493/पं0, दिनांक–07.03.2023, पत्रांक–701/पं0, दिनांक–28.03.2023 एवं पत्रांक–739/पं0, दिनांक–05.04.2023 द्वारा जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गोपालगंज से श्रीमती सोनी कुमारी का माह अक्टूबर, 2021 से माह फरवरी, 2022 का उपस्थिति–पंजी की छायाप्रति एवं मानदेय भुगतान का साक्ष्य की माँग की गई (पत्र की प्रति संलग्न)।

जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गोपालगंज के पत्रांक–4311/2023–24/2, दिनांक–10.04.2023 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है (पत्र की प्रति संलग्न)। जिसके द्वारा श्रीमती सोनी कुमारी का माह अक्टूबर, 2021 से माह फरवरी, 2022 का मानदेय भुगतान का साक्ष्य एवं दिनांक–30.11.2021 एवं दिनांक–17.12.2021 को आयोजित बैठक की उपस्थिति–पंजी की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है।"

प्रतिवेदन पत्रांक–310/पं0, दिनांक–16.01.2023 में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा नाम–निर्देशन पत्र में पेशा के रूप में गृहणी अंकित किया गया है, जिसके आधार पर इनका नामांकन–पत्र स्वीकृत किया गया है।

प्रतिवेदन पत्रांक–1600/पं0, दिनांक–12.07.2023 के साथ संलग्न नेहरू युवा केन्द्र संगठन में सेवा–शर्त्त के साथ, नियुक्ति, पद त्याग आदि से संबंधित दिशा–निर्देश संलग्न किया गया है।

5. आयोग द्वारा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गये तर्क तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत), गोपालगंज का यह दावा है कि श्रीमती सोनी कुमारी, ग्राम पंचायत सदस्य (ग्राम पंचायत बसडिला, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02) द्वारा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त नेहरू युवा कन्द्र के तहत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–136(1)(घ) का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत बसडिला, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02 के ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है।"

206

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी श्रीमती सोनी कुमारी नेहरू युवा केन्द्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के रूप में सेवारत थी तथा नामांकन में उन्होंने इस तथ्य को छिपाते हुए एवं बिना विधिवत् त्याग–पत्र स्वीकृति के अपना नामांकन दाखिल किया, तथा ग्राम पंचायत बसडिला, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02 के ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुई।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन में नियुक्ति संबंधी दिशा–निर्देश के कंडिका–02 एवं 03 से प्रमाणित होता है कि यह युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है, जिसमें राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के रूप में सेवारत व्यक्तियों को रु 5,000/–(पाँच हजार रूपये) प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदनों से यह भी प्रमाणित होता है कि श्रीमती सोनी कुमारी को मानदेय का भुगतान उनके SBI Account No. 40422636540 में सेवारत अवधि के लिए प्राप्त हुआ है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती सोनी कुमारी नेहरू युवा केन्द्र अन्तर्गत मानदेय आधारित पद राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के रूप में सेवारत रहते हुए, ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुई है। प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(घ) के तहत निरर्हता रहने के बावजूद उक्त पद (ग्राम पंचायत सदस्य) पर निर्वाचित हुई, जो नियमाकूल नहीं है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1)(घ) सह पठित धारा–136(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्रीमती सोनी कुमारी को निरर्हित/अयोग्य घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत बसडिला, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02 के ग्राम पंचायत सदस्य के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत बसडिला, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–02, गोपालगंज का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा श्रीमती सोनी कुमारी के विरूद्ध अपनी पेशा के संबंध में तथ्य छुपाने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–125 (क) (3) के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना अपरिहार्य है। अतएव इस संबंध में इनके स्तर से अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.08.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.08.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

208

ज्ञापांक–86 / 2022 - 2886 पटना, दिनांक–07 अगस्त, 2023

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/08/23

विशेष कार्य पदाधिकारी